संसद के समक्ष अभिभाषण – *14* फरवरी 1961

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

संसद के नए सत्र का भार सम्भालने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं।

पिछला वर्ष हमारे लिए आन्तरिक और बाहरी दबाव व कठिनाइयों का वर्ष रहा है। मेरी सरकार ने अपनी आधारभूत नीति के सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए और भविष्य में विश्वास रखते हुए बड़े परिश्रम के साथ सब समस्याओं का सामना किया है। यद्यपि अभी बहुत सी जटिल समस्याओं का सुलझाया जाना बाकी रहता है अथवा उनका समाधान हो रहा है, देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुधार के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जिससे सफलता की कुछ आशा बंधती है।

हमारे राष्ट्र की सर्वाधिकार-सम्पन्न भूमि पर आक्रमण तथा हमारी सीमा के अतिक्रमण की समस्यायें अभी नहीं सुलझ पाईं, किन्तु मेरी सरकार उन समस्याओं तथा उनसे संबंधित समस्त उलझनों के प्रति जागरूक है। रक्षा संबंधी व्यवस्था की ओर वह निरन्तर ध्यान दे रही है और साथ ही संचार के साधनों द्वारा सम्पर्क स्थापित करके उन स्थानों का विकास कर रही है।

लांगजू में चीन ने जो सैनिक चौकी स्थापित की थी, यद्यपि उसे उसने वहां से हटा लिया है और भारतीय क्षेत्र का और अधिक उल्लंघन करने की चेष्टा उसने नहीं की है, किन्तु तो भी उसका दुराग्रह जारी है। हमारी सीमा के उस पार हमारे प्रति जो वैर-भाव जारी है उसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार प्रतिरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में निरन्तर प्रयत्नशील है। फिर भी मेरी सरकार उन सिद्धांतों पर दृढ़ रहेगी जिन्हें हमारा देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के लिए आधारभूत मानता है। मेरी सरकार चीन के एकतरफा निर्णयों अथवा कार्रवाई के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकती।

इस शांतिपूर्ण किन्तु दृढ़ नीति और रक्षा की तैयारी को जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, हमारे लोगों का समर्थन प्राप्त है और इसका विश्व-मत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारा यह दृढ़ मत है कि भारत और चीन के बीच की सीमाएं चिरकाल से संधियों, रीति-रिवाजों तथा व्यवहार द्वारा भली प्रकार निश्चित रही हैं। मेरी सरकार को आशा है कि चीन वर्तमान अनिच्छा अथवा दुराग्रह के बावजूद शीघ्र ही उन सीमाओं के बारे में, जो हमारे और उसके बीच सांझी हैं, हमारे देश के साथ संतोषजनक समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध जिन्हें उन्नत करने के लिए मेरी सरकार सदा उत्सुक रही है, तभी ऐसी वास्तविकता का रूप धारण कर सकते हैं जो स्थिर रहे और जिससे हम दोनों देशों की भलाई हो और एशिया तथा विश्व की स्थिति में स्थिरता आये।

मेरे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच नई दिल्ली में गत अप्रैल में किए गए और बातचीत के अंत में संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा घोषित हुए समझौते के अनुसार, दोनों देशों की सरकारों द्वारा मनोनीत अधिकारी नई दिल्ली, पेकिंग और रंगून में बातचीत करते रहे हैं। यह बातचीत अब समाप्त हो चुकी है। मेरी सरकार को अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह संसद के सामने रखी जाएगी।

अफ्रीकी भूखंड में बहुत से देशों का स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में उदय और संयुक्त राष्ट्रसंघ में पूर्ण सदस्यों के रूप में उनके प्रवेश का मेरी सरकार स्वागत करती है। अफ्रीका में जागृति की लहर और कई सर्वाधिकार सम्पन्न गणराज्यों का उदय हमारे लिए हर्ष का विषय है। इन राष्ट्रों द्वारा तटस्थ रहने और शीत युद्ध के संघर्ष से अलग रहने की घोषणा का हम खासतौर से स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मेरी सरकार ने जिस नीति का बराबर अनुसरण किया है, यह घोषणा, वास्तविकता के आधार पर, उस नीति का निष्पक्ष समर्थन है।

कांगो की स्थिति से मेरी सरकार बराबर चिंतित है। हाल में आजाद हुए इस देश की स्वतंत्रता और एकता अफ्रीकी भूखंड की उन्नति और विकास, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता तथा प्रतिष्ठा और दुर्बल राष्ट्रों की शक्तिशाली राष्ट्रों के आक्रमण से सुरक्षा, इन सब प्रश्नों का कांगो की स्थिति से संबंध है। बेल्जियम के शस्त्रास्त्र और उसके सैनिक और अर्द्ध-सैनिक नागरिकों का दबाव और संयुक्त राष्ट्र के निश्चित निर्णयों के विरोध में कांगो में कुछ प्रतिस्पर्धी दलों को बेल्जियम द्वारा सहायता, कांगो की स्थिति में उलझनों के यही प्रमुख कारण हैं।

मेरी सरकार बराबर उस नीति का अनुसरण करती रहेगी जिसका आधार संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में हमारी आस्था और कांगो के लोगों को उनकी नवोदित स्वाधीनता भोगते हुए देखने की हमारी उत्कट इच्छा है। इस उद्देश्य से मेरी सरकार बेल्जियनों के हटाए जाने और राजनीतिज्ञों की, विशेषकर उनकी जिन्हें संसदीय अधिकार प्राप्त हैं, कारावास से रिहाई, परस्पर विरोधी और सशस्त्र दलों के तटस्थीकरण, वहां की पार्लियामेंट के संयोजन और संवैधानिक सत्ता के पुनःस्थापन पर बराबर जोर देती रही है।

इधर हमारे देश के निकट लाओस में भी स्थिति ऐसी बन गई है जिससे भारी चिन्ता होने लगी है। इस स्थिति में और अधिक बिगाड़ न होने पावे, इस दृष्टि से, मेरी सरकार संबद्ध राष्ट्रों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय कमीशन को फिर से कार्यारूढ़ करने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रही है। वहां संघर्ष के विस्तार के, एशिया और समस्त विश्व में, भीषण परिणाम हो सकते हैं और ऐसी घटना की रोकथाम करने की मेरी सरकार की नीति है।

गोआ अभी भी पुर्तगाल के उपनिवेशवादी अधिकार में है। मेरी सरकार भारत के इस भाग की जहां अभी भी जीर्ण उपनिवेशवाद का बोलबाला है, शांतिपूर्ण आजादी के लिये वचनबद्ध है।

भारत के पड़ोसी राज्यों और अन्य देशों के साथ हमारे शांतिपूर्ण संबंध बराबर बने हैं। मेरी सरकार अपनी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पड़ोसी सद्भाव की नीति पर दृढ़ रहते हुए किसी भी देश के साथ सैनिक-संधियों में उलझे बिना इन संबंधों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है।

सद्भावना बढ़ाने हेतु दूसरे देशों के साथ यात्राओं का विनिमय किया गया। सोवियत संघ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के प्रत्युत्तर में मैंने रूस की यात्रा की। वहां के राष्ट्रपति, उनकी सरकार और वहां की जनता ने जो मेरा हार्दिक स्वागत किया उसके लिये मैं आभारी हूं। हमारे उप-राष्ट्रपति ने अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस की यात्रायें कीं।

हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त अरब गणराज्य, लेबनान, टर्की और पाकिस्तान की यात्रायें कीं। अन्य मंत्रीगण और भारत सरकार के कुछ विशेष प्रतिनिधिमंडल आपसी सद्भावना बढ़ाने के लिए अथवा विशेष उद्देश्य को लेकर विविध देशों की यात्रा पर गये। इन देशों में सिलोन, मेक्सिको, पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के देश, इथोपिया, नाइजीरिया, घाना और मंगोलिया लोक गणराज्य शामिल हैं।

गत वर्ष उरुग्वे, पेराग्वे कांगो और मलागासी गणराज्यों के साथ हमारे राजनयिक संबंध स्थापित हुए।

मेरी सरकार ने एक स्वाधीन गणतंत्र राज्य के रूप में साइप्रस के उदय का जहां एक दीर्घकालीन उपनिवेशवादी सत्ता का अंत हुआ, स्वागत किया है।

महिष्मती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और एडिनबरा के ड्यूक राजकुलमान्य प्रिंस फिलिप ने भारत आने के लिए मेरे निमंत्रण को कृपापूर्वक स्वीकार किया। उन्हें अपने बीच पाकर हमें खुशी होती है और वे मेरे ही नहीं, मेरी सरकार और हमारी जनता के भी सम्मानित अतिथि हैं।

हमें जापान के सम्राट के प्रतिनिधित्व-रूप आये हुए राजकुलमान्य राजकुमार और राजकुमारी, रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव, नेपाल के महामहिम सम्राट, संयुक्त अरब

गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, इंडोनिशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, गिनी के राष्ट्रपति सकूतूर, जर्मन संघीय गणतंत्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर थ्योडोर हैस, फिलीपीन्स के उप-राष्ट्रपति मापगल और चीन, बर्मा*, पोलैंड, नेपाल तथा सिलोन** के प्रधानमंत्रियों का स्वागत करके बड़ी खुशी हुई है। भूटान और सिक्किम के महामहिम महाराजा का अपने सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। इन सब विशेष सम्माननीय मेहमानों की भारत यात्रा हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।

आज संसार के सामने सबसे प्रमुख बात नि:शस्त्रीकरण की है। हर अवसर पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में, इस विषय में राष्ट्रों के बीच, खासकर बड़ी शक्तियों के बीच, समझौते के लिए आधार के निर्माण में मेरी सरकार प्रयत्नशील रही है। इस के लिए मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण परिषद् में कुछ प्रस्ताव रखे हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि नि:शस्त्रीकरण की बातचीत का निश्चित आधार यह होना चाहिये कि देशों के बीच आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए युद्ध को साधन न माना जाये और उसे गैर-कानूनी करार दिया जाये।

हमें खेद है कि हमारी कोशिशों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की सरकार मूल भारतीय नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव करने और जातीय भेदभाव के आधार पर अपने समाज का संगठन करने में लगी है। मानवीय गौरव की अवहेलना, मानव के अधिकारों के उल्लंघन और पृथक्करण की इस नीति के अनुसरण से समस्त संसार को गहरा धक्का लगा है।

राज्यों की सरकारों के सहयोग से योजना आयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है और यह रूपरेखा सिद्धान्त रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। जैसे ही रिपोर्ट का प्रारूप तैयार होगा उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने और उसके बाद संसद के सामने रखा जायेगा।

1952-53 के मूल्यों के आधार पर अनुमान है कि 1959-60 की राष्ट्रीय आय 12,212 करोड़ होगी, जबकि 1955-56 में यह आय 10,920 करोड़ थी। आय में वार्षिक वृद्धि इतनी रफ्तार से नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे। 1957-58 और 1959-60 में खेती को जो भारी नुकसान पहुंचा, वही इसका कारण था। हमें आशा है इस साल की फसलें अच्छी हैं और औद्योगिक उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्यों के स्तर करीब 6 प्रतिशत ऊपर गये हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने जो उपाय अपनाये हैं उनसे कुछ रोकथाम हुई है और कहीं-कहीं, जैसे कपड़े के मामले में, सरकारी कार्यवाही के कारण मूल्यों में कमी होने लगी है। विदेशी मुद्रा के संचय में कमी के कारण हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बावजूद खेती और उद्योग दोनों की स्थिति आशाजनक है।

---

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

**अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।

पंचायती राज अथवा ग्राम लोकतंत्र ने तीव्र गति से प्रगति की है। मेरी सरकार को आशा है कि 1961 के समाप्त होने से पहले पंचायती राज संबंधी संस्थायें सभी राज्यों में स्थापित हो चुकेंगी। इन संस्थाओं के सुचारू संचालन और सहायता के लिए गैर-सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ हो चुका है। सर्विस सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या में लगभग 1 करोड़ 80 लाख की वृद्धि हुई है। आशा है ये समितियां 190 करोड़ रुपये तक लोगों को ऋण के रूप में दे सकेंगी।

1960-61 में फिर कृषि उत्पादन में निश्चित उन्नति हुई है। अन्दाजा है कि 1960-61 की खरीफ में अनाज का उत्पादन पहले वर्ष की अपेक्षा 20 लाख टन अधिक होगा। आशा है यह 1958-59 की अपेक्षा भी अधिक होगा। उस वर्ष का उत्पादन अधिकतम था। रबी की फसल की स्थिति भी आशाजनक है। सब मिलाकर, आशा है कृषि उत्पादन की दृष्टि से 1961 हमारे बहुत अनुकूल पड़ेगा। देश में उत्पादन में वृद्धि के कारण और मेरी सरकार ने गल्ला संचित करने की दिशा में जो ठोस कदम उठाये हैं उनके फलस्वरूप, अनाज के भाव पहले ही गिरने शुरू हो गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार सिंचाई की छोटी योजनाओं और बीज उत्पादन के लिए फार्मों की स्थापना के कार्यक्रम पर जल्द ही पूरी तरह अमल होने की आशा है। भरपूर जुताई को देशभर में और कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार दृढ़ हो सके। हमारा लक्ष्य अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना और दूसरे कृषि उत्पादनों को यथोचित प्रोत्साहन देना है।

कुछ मामलों में औद्योगिक उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा है। 1960 के पहले दस महीनों में उत्पादन की सूची 167 थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में वह 149 थी। सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले तीन इस्पात के कारखाने लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। औद्योगिक मशीनरी और मशीनी औजारों के निर्माण में भी संतोषजनक प्रगति हुई है। खनिज तेल के नये साधनों का पता लगा है, खास गुजरात में अंकलेश्वर में और असम में सिबसागर में। आशा है कि परीक्षण के रूप में तेल का उत्पादन इस वर्ष शुरू हो जायेगा। तेल साफ करने के दो कारखानों पर काम चालू है और तीसरा कारखाना स्थापित होने जा रहा है।

कनाडा-भारत रिएक्टर जो हाल ही में चालू हुआ है, हमारा तीसरा रिएक्टर है। इस के उद्घाटन से उद्योगों, चिकित्सा और खेती संबंधी कामों में अणुशक्ति के उपयोग की संभावना बढ़ी है।

बहु-उद्देश्यीय नदी-घाटी योजना में चम्बल नदी योजना, गांधी सागर बांध और कोटा बराज का उद्घाटन हो चुका है और भाखड़ा में 90 हजार किलोवाट बिजली की 5 इकाइयों में से दो खोली जा चुकी हैं। बाकी तीन भी आगामी कुछ महीनों में ही खुल सकेंगी, इस बात की पूरी संभावना है।

सरकारी कर्मचारियों की हाल में होने वाली खेदजनक हड़ताल को छोड़कर, कामगार संबंधों में सुधार हुआ है। अनुशासन नियमावली के लागू करने का अच्छा असर पड़ा है और आगे के दिनों की संख्या में काफी कमी हुई है। सरकारी मजदूर बीमा योजना का विस्तार कर उसके अंतर्गत 15.8 लाख और कामगारों को शामिल कर लिया गया है। सूती कपड़ा, सीमेंट और चीनी जैसे प्रमुख उद्योगों की देखभाल त्रिदलीय वेज बोर्ड पहले ही कर चुका है और अब जूट उद्योग और चाय के बगीचों के लिए बोर्डों की नियुक्ति कर दी गई है। कुछ औद्योगिक इकाइयों में प्रबंध कार्य में मजदूरों की सहूलियत की प्रयोगात्मक योजना लागू की गई है।

प्रशासन में हिन्दी को स्थान देने की दिशा में उन्नति हुई है। हिन्दी के विकास और प्रचार के संबंध में सरकारी निर्णयों को कार्य रूप देने के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी विभाग की स्थापना की गई है।

जैसा कि संसद सदस्य जानते हैं, गत जुलाई में नागा नेताओं से बातचीत के फलस्वरूप मेरी सरकार ने भारतीय संघ के अंतर्गत नागालैंड नामक पृथक् राज्य के गठन का निश्चय किया था इस दिशा में पहले कदम के रूप में मैंने एक अधिनियम जारी किया है, जिसके अनुसार संक्रांति काल की अवधि में नागालैंड के प्रशासन में राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रतिनिधियों की अन्तरिम परिषद् निर्वाचित की गई है। मेरी सरकार उन विरोधी तत्वों को दबाने के लिए कृतसंकल्प है जो वहां के लोगों के लिए कठिनाइयां और कष्ट पैदा कर रहे हैं।

1961-62 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े यथापूर्व आपके सामने रखे जायेंगे।

संसद के पिछले सत्र के बाद दो अधिनियम "दी यू.पी. शूगरकेन सैस (वेलिडेशन) आर्डिनेन्स" और "दी बैंकिंग कम्पनीज़ (अमेण्डमेंट) आर्डिनेन्स" जारी किये गये हैं।

संसद के सदस्यगण, गत वर्ष जब मैंने आपके समक्ष भाषण दिया था उस समय से आपके दोनों सदनों ने 67 विधेयक पारित किये हैं। 16 विधेयक पिछले सत्र से आपके सामने विचाराधीन हैं। उन्हें पारित करने की दिशा में मेरी सरकार इस सत्र में कदम उठायेगी।

दहेज उन्मूलन विधेयक पर दोनों सदनों में कुछ मतभेद हैं। इस विधेयक पर विचार करने के लिए मेरी सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की दिशा में उचित कार्यवाही करेगी।

मेरी सरकार अन्य विधेयकों के अतिरिक्त निम्न विधेयक आपके विचाराधीन प्रस्तुत करेगी—

1. दी इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल।

2. दी एक्सट्राडीशन बिल।

3. दी इंडियन पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइन्स बिल।
4. दी इसेंशियल कमोडटीज़ (अमेंडमेंट) बिल।
5. दी शुगर एक्सपोर्ट प्रोमोशन (अमेंडमेंट) बिल।
6. दी नारकोटिक्स बिल।
7. दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बिल।
8. दी हिमाचल प्रदेश एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफार्म्स (अमेंडमेंट) बिल।

संसद के सदस्यगण, मैंने गत वर्ष की प्रमुख घटनाओं और सफलताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। आगामी वर्ष में अपनी सरकार के कार्यक्रम की तरफ भी मैंने आपका ध्यान खींचा है। हम सबके सामने जो महान कार्य और जिम्मेदारियां हैं उनकी ओर भी मैंने संकेत किया है। मुझे इसमें संदेह नहीं कि इन सब कामों पर आप ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मेरा विश्वास हमारे आर्थिक आयोजन, हमारी प्रतिरक्षा, विश्वशांति और पराधीन राष्ट्रों की संघर्ष संबंधी बहुत-सी समस्याओं को सुलझाने के लिये और हमारे देशवासियों को आश्वस्त करने के लिए मेरी सरकार को आपका विवेक, सतर्कता और सहयोग उपलब्ध होगा। हमारे देश के साधन और राष्ट्र के लोगों की योग्यता, प्रगति तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उन ऐतिहासिक और महान कामों में संलग्न हैं, जिनका दायित्व हम पर आता है।

मेरी सरकार बराबर ऐसी एक योजना को चलाने और प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती रहेगी जिससे कि उसके नीति संबंधी निर्णयों के निर्माण और उन पर अमल के बीच कम से कम समय लगे। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे प्रजातंत्र में और उसके विकासोन्मुख महान आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर जनसाधारण भाग ले सकें। यदि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गौरव और सफल प्रयत्न की भावना के साथ जीवित रहना है तो यह हमारे लिये आवश्यक है। राष्ट्र की समस्त जनता के सामाजिक कल्याण की एकसूत्रता, जनतंत्रात्मक और समाजवादमूलक समाज के संगठन की ओर ऐसी प्रगति जिसमें परिवर्तन सामयिक हो और उन्नति आत्मचालित हो— हमारा लक्ष्य है, जिसको हमें शांतिपूर्वक और लोगों की सहमति से प्राप्त करना है।

संसद के सदस्यगण, अब मैं आपको नये सत्र का काम सौंपता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सन्मति, सहिष्णुता और सामूहिक प्रयत्न की भावना आपका पथ-प्रदर्शन करेगी। आपके प्रयत्न पूर्ण सफल हों, और हमारे देश तथा उसके जनगण और विश्व के लिए, जिनकी सेवा के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, यही मेरी कामना है।